

15.04.25 वार्धी द्वारा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर फ़ावली
वेशी में ली गई। वार्धी का मूल वाद नोटब्रैस
के आधार पर इसी स्तर पर एपारिज किया
जा चुका है। अतः यह वार्धीना पर ऑचिक्टिन
होने के कारण इसी स्तर पर एपारिज किया
जाता है। फ़ावली बाड तश्तीब तकमील होकर
दाकिल दफ़तर है।

निर्णय लिखा जाकर एुले न्यायलय में
सुनाया गया।

15.04.25

(किरण पाल)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

घड़साना